

**हरियाणा सरकार**  
**आबकारी तथा कराधान विभाग**  
**अधिसूचना**

दिनांक 19 मार्च, 2010

संख्या वैब 2 /ह0अ0 6/2003/धा0 59/2010. – संशोधन का, निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंगन अनुसूची क, ख, ग और छ में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

**संशोधन प्रारूप**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में:—

I अनुसूची 'क' में:—

- (i) क्रम संख्या 7 में, व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“**व्याख्या.**— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, “ आयल कम्पनी से अभिप्राय है, मैसर्ज इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्ज नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड तथा मैसर्ज इस्सार आयल लिमिटेड।”;

- (ii) क्रम संख्या नं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3
"9	बीड़ी और हुक्का में प्रयोग होने वाला बीड़ी तथा कट तम्बाकू को छोड़कर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	20%  ।"।

II अनुसूची 'ख' में:-

- (i) क्रम संख्या 3 क का लोप कर दिया जाएगा और 30 नवम्बर, 2006 से लोप की गई समझी जाएगी; और
- (ii) क्रम संख्या 3 क के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि तुरन्त प्रभाव से रखी जाएगी, अर्थात्:-

"3 (ख)	"सेवारत केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिको को केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुएँ।";
--------	---

- (iii) क्रम संख्या 59 तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रथम मई, 2005 से लागू हुई समझी जाएंगी।"।

III अनुसूची 'ग' में, क्रम संख्या 55 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

1	2
"55 क	मल्टीलेटिड रैगस।"।

IV अनुसूची 'छ' में प्रविष्टि 2 के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और 30 नवम्बर, 2006 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"3	<p>गुड़गांव मेट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.एल.) को बेचा गया सभी माल (अनुसूची घ में वर्णित माल को छोड़कर) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के किसी प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगा कि माल गुड़गांव मेट्रो कोरिडोर के गुड़गांव सैक्शन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया है।”।</p> <p><b>व्याख्या-</b> दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को उपरोक्त प्रदाय किए गए माल पर मूल्य वर्धित कर प्रभारित करने के सरकार के आशय को पूरा प्रभाव देने के लिए जहां तक गुड़गांव मेट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदाय किए गए माल से सम्बन्धित अनुदान की वापसी का सम्बन्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में दिये फार्मूला का कोई प्रभाव नहीं होगा।”।</p>	बेचे गये माल के मूल्य का 0 %	मेट्रो कोरिडोर (गुड़गांव सैक्शन) को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदाय (विक्रय) माल।

रमेन्द्र जाखू,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।